मेरठ कॉलेज, मेरठ

NAAC Accredited Institution
College with Potential for Excellence (U.G.C.)

Star Status (D.B.T., Govt. of India)

विवरणिका

2023-2024

सन्देश

प्यारे विद्यार्थियों!

लगभग 131 वर्ष की उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं का स्वर्णिम इतिहास सँजोये मेरठ कॉलेज, मेरठ का 'शताब्दी द्वार' सत्र 2023-24 में आपके स्वागतार्थ तत्पर है। 'शताब्दी द्वार' वस्तुतः आपकी बहुआयामी महत्त्वाकांक्षाओं का प्रवेश-द्वार है जो इंगित करता है कि उत्तरी भारत की इस ख्यात शिक्षण-संस्था में प्रवेश करने से शिक्षार्थी की बहुआयामी उन्नति के द्वार स्वयमेव खुलने लगते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त उनके राष्ट्रीय, सामाजिक चरित्र एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा मिलती है।

मेरठ कॉलेज, मेरठ वह शिक्षण संस्था है जिसने देश को अब तक अनेकों राष्ट्रीय ख्यात शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ, राज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, न्याय मूर्ति, न्यायाधीश, विधिवेत्ता, सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी और अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देकर विश्व स्तर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अतः इस महान शिक्षण संस्था से किसी विद्यार्थी का जुड़ना और अध्ययन करना उसके लिए उपलब्धि के साथ ही अत्यन्त गौरव का विषय भी है।

शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है और इसी पर किसी राष्ट्र के विकास का शीशमहल खड़ा होता है। सूचना एवं संचार क्रांति तथा प्रतिपल की प्रौद्योगिक अभिवृद्धि ने ज्ञान के साथ ही नवीन चुनौतियों में भी अभिवृद्धि की है। भारत सरकार द्वारा निर्मित-प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इन चुनौतियों को स्वीकार कर उपयुक्त शैक्षिक समाधानपरक व्यवस्था दी है। हमने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यथावत् क्रियान्वयन करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक-आवश्यकताओं के अनुरूप हम युवा शक्ति को तैयार कर उसमें आत्म-विश्वास का संचार करें, ताकि वह वर्तमान प्रतिस्पर्धा की दौड़ में स्वयं अपना स्थान बना सके। इस संदर्भ में मेरठ कॉलेज परिवार पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है ताकि इस संस्था का आज का विद्यार्थी कल विश्व-समाज-सेवार्थी बनकर अपनी व अपने महाविद्यालय की पहचान वैश्विक पटल पर बना सके।

मेरठ कॉलेज में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर 23 विषयों में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा है। साथ ही अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था से बहुत-से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। एन०सी०सी०, एन०एस०एस० तथा क्रीड़ा से जोड़कर युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा हेतु प्रोत्साहित करने में हमारी सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा हमारा व्यवसाय न होकर हमारा अभ्यास, हमारी तपस्या है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। महाविद्यालय में वर्ष पर्यन्त होने वाली अकादमिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इंगित करती हैं कि हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपको उपाधि प्रदान करना है अपितु देश व समाज को ऐसे कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक सौंपना है जो सामाजिक सारोकारों के प्रति भी अपनी महती भूमिका निभा सकें।

आपके उज्ज्वल एवं सार्थक भविष्य की कामना सहित,

प्रो० (डॉ०) अंजलि मित्तल

प्राचार्या

Our Vision And Mission

- Our aim is to remain at the forefront of centres of teaching, learning and research.
- Our mission is to produce academically excellent students who are globally competitive and socially committed citizens of the country.

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	मेरठ कॉलेज – एक झलक	4
2.	प्रबन्ध समिति	5
3.	आचार्य कुल	6–7
4.	विभिन्न समितियाँ	8–9
5.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित प्रकोष्ठ	10
6.	अन्य प्रभारी वर्ग	11
7.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12
9.	मुख्य परिसर मानचित्र	13
10.	उपलब्ध पाठ्यक्रम	14–15
11.	पाठ्येत्तर गतिविधियाँ एवं सुविधाएँ	16–18
12.	वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नियम	19
13.	प्रवेश के नियम	20–26
14.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में दिशा-निर्देश	27–29
15.	प्रवेश-योग्यता के आधार	30
16.	प्रवेश प्रक्रिया	31
17.	रैगिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध	31
18.	सामान्य सूचनाएँ	32
19.	स्थानान्तरण / चरित्र प्रमाण-पत्र	32
20.	शुल्क तालिका (2023-24)	33
21.	शुल्क विवरण	34
22.	इग्नू अध्ययन केंद्र	35
23.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम विभाग	35

मेरठ कॉलेज – एक झलक

अनेक संदर्भों में उत्तरी भारत की एक प्रमुख शिक्षण संस्था, मेरठ कॉलेज, मेरठ, अपने सफलतम विकास की एक शताब्दी पूर्ण करने के पश्चात् दूसरी के भी तीन दशक पार कर चुकी है। वर्तमान में महाविद्यालय तीन परिसरों में फैला हुआ है।

मुख्य परिसर

- स्थापना : 15 जुलाई 1892
- संस्तुत : अन्तर्गत 12(f) and 2(b) UGC
- क्षेत्रफल : 102 एकड़ भूमि
- सम्बद्धता : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
- स्तर : सह-शिक्षा संस्थान
- संकाय : 5 (कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं शिक्षा)
- परास्नातक : 22 विषयों में
- स्नातक : 23 विषयों में
- शिक्षक : स्थाई – 172
- शोधार्थी : लगभग 650
- विद्यार्थी : लगभग 8,500
- केन्द्रीय पुस्तकालय : 2 लाख से अधिक पुस्तकें
- विभागीय पुस्तकालय : 10
- अध्ययन कक्ष : 87
- प्रयोगशाला : 31
- खुले विशाल सभास्थल : 02
- शिक्षक निवास : 30
- बैंक शाखायें : (1) यूको बैंक, (2) पंजाब नेशनल बैंक
- पार्किंग स्थल : 03
- कम्प्यूटर केन्द्र
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला
- विशाल मूट कोर्ट हॉल
- विद्यार्थी डेटा सेन्टर
- ग्रीवैंस रीड्रैसल सेल
- ग्रीन हाउस
- महिला प्रकोष्ठ
- छात्रसंघ भवन
- डाकघर
- स्टेशनरी शॉप
- कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
- एन०सी०सी० कार्यालय
- एन०एस०एस० कार्यालय
- अभियन्ता अनुभाग
- औषधालय
- हैल्थ सैन्टर
- कैरियर गाइडैन्स एवं परामर्श
- आरबोरेटम
- व्यायामशाला
- गर्ल्स कॉमन हॉल
- संकाय कार्यालय
- विशाल कार्यालय भवन
- अनेक खुले हरे-भरे पार्क

शमशाह पार्क

- क्षेत्रफल : 32 एकड़ भूमि
- शिक्षक निवास : 12
- आधुनिक अन्तःतरणताल
- क्रिकेट स्टेडियम
- खो-खो कोर्ट
- हैंडबॉल कोर्ट
- नेटबॉल कोर्ट
- हॉकी मैदान
- फुटबाल मैदान
- वॉलीबाल मैदान
- बैडमिन्टन हॉल
- कबड्डी फील्ड
- 10 मी० शूटिंग रेंज
- 400 मी० एथलेटिक ट्रैक

बंगला सं० 68-69, मेरठ कैन्ट

- 17 एकड़ भूमि पर फैला मैदान अभी निश्चित रूप पाने को प्रतीक्षारत है।

प्रबन्ध समिति

श्री सुरेश चन्द्र जैन 'रितुराज'
अध्यक्ष

डॉ० ओमप्रकाश अग्रवाल
अवैतनिक सचिव

श्री महेश कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

श्री मनीष प्रताप
अतिरिक्त मन्त्री

सदस्य

डॉ० रामकुमार गुप्ता
श्री आदित्य माहेश्वरी
श्री अनुज बंसल
श्री अनुराग गौड़
श्री जयवीर सिंह
डॉ० ओ०पी० शर्मा
श्री पंकज रस्तौगी
श्री पीयूष कुमार दुबलिश
श्री राकेश खेत्रपाल
श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
श्री शुभेन्द्र मित्तल
श्री अमित बंसल
श्री अनुराग दुबलिश
श्री अरुण कुमार गुप्ता
श्री अतुल कुमार जैन
डॉ० कृष्ण कुमार शर्मा
श्री पंकज मित्तल
श्री पराग अग्रवाल
श्री कुंवर राहुल सिंह
डॉ० एस०पी० देशवाल
श्री शुभांकर शर्मा

पदेन सदस्य

प्रो० अंजलि मित्तल
प्राचार्या

प्रो० संजय कुमार
प्रो० वीरेन्द्र कुमार
प्रो० सुजाता मैनवाल
श्री आनन्द सिंह रावत
प्रो० अनुराग सिंह
प्रो० प्रगति रस्तोगी
प्रो० अमृत लाल

आचार्य कुल

प्राचार्या–प्रो० अंजलि मित्तल

कला संकाय

रक्षा अध्ययन विभाग

1. प्रो० हेमन्त कुमार पाण्डे
2. प्रो० संजय कुमार
3. प्रो० अनुराग जायसवाल
4. प्रो० नवीन कुमार वर्मा
5. प्रो० मौ० रिज़वान

अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो० युद्धवीर सिंह
2. श्री अंकुर गुप्ता
3. प्रो० सांत्वना शर्मा
4. डॉ० मनोज कुमार सिवाच
5. प्रो० अर्चना सिंह
6. प्रो० वी० के० गौतम
7. डॉ० नविता एस० कुमार

अंग्रेज़ी विभाग

1. प्रो० अल्पना रस्तोगी
2. प्रो० मोनिका भटनागर
3. प्रो० विभा रानी
4. प्रो० अवधेश कुमार
5. डॉ० सुमन रानी

ललित कला विभाग

1. प्रो० अमृत लाल
2. प्रो० अन्जु चौधरी (अवकाश पर)

भूगोल विभाग

1. प्रो० अनिता मलिक
2. प्रो० परमजीत सिंह
3. प्रो० नरेश कुमार
4. प्रो० राजीव कुमार
5. प्रो० नीरज तोमर
6. डॉ० पूनम चौधरी

हिन्दी विभाग

1. प्रो० सरिता वर्मा
2. प्रो० रामयज्ञ मौर्य
3. प्रो० कविता त्यागी
4. डॉ० मुकेश सेमवाल
5. श्री दिनेश कुमार
6. श्री रमेश यादव

इतिहास विभाग

1. डॉ० विघ्नेश कुमार (अवकाश पर)
2. प्रो० अर्चना सिंह
3. प्रो० वकुल रस्तोगी
4. प्रो० चन्द्रशेखर भारद्वाज

दर्शन शास्त्र विभाग

1. प्रो० दीना नाथ सिंह
2. डॉ० हितेश कुमार सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

1. प्रो० सीमा पवाँर
2. प्रो० पूरन सिंह उज्ज्वल
3. प्रो० ममता शर्मा
4. प्रो० सतीश कुमार

मनोविज्ञान विभाग

1. प्रो० मृदुला शर्मा
2. प्रो० मंजु खोखर
3. प्रो० भगत सिंह
4. डॉ० अनिता मोराल

संस्कृत विभाग

1. प्रो० वाचस्पति मिश्र
2. डॉ० अरविंद कुमार

समाजशास्त्र विभाग

1. प्रो० अजीत सिंह तोमर
2. प्रो० सुजाता मैनवाल
3. प्रो० अमरजीत सिंह मलिक
4. डॉ० अनिल कुमार
5. डॉ० धीरेन्द्र प्रताप सिंह

उर्दू विभाग

1. सुश्री यशिका सागर

वाणिज्य संकाय

1. डॉ० ए० के० अग्रवाल
2. प्रो० एस० के० एस० यादव
3. डॉ० मनोज कुमार अग्रवाल (अवकाश पर)
4. श्री दीपक वर्मा
5. सुश्री स्वाति पँवार
6. श्री पंकज कुमार भारती
7. सुश्री हरगुन साहनी
8. श्री विनय आर्य
9. सुश्री मेघा शर्मा

शिक्षा संकाय

1. प्रो० अजय कुमार (अवकाश पर)
2. प्रो० मीनाक्षी शर्मा
3. प्रो० लवलता सिंधू
4. प्रो० रेखा राणा
5. प्रो० पूनम सिंह
6. प्रो० सीमा शर्मा
7. प्रो० विनीता सिंह
8. प्रो० सुधीर कुमार पुंडीर
9. प्रो० संजय कुमार
10. प्रो० शालिनी त्यागी

विधि संकाय

1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता
2. प्रो० कामेश्वर प्रसाद
3. प्रो० प्रवीण दुबलिश
4. श्री अनुपम सिंह
5. प्रो० मुरारी प्रसाद वर्मा
6. प्रो० राज कुमार उपाध्याय

7. प्रो० धर्मराज राम
8. प्रो० हरि शंकर राय
9. प्रो० अनुराग सिंह
10. प्रो० दयानन्द द्विवेदी
11. प्रो० द्वारिका प्रसाद
12. प्रो० संगीता उपाध्याय
13. डॉ० अशोक कुमार शर्मा
14. श्री जयवीर सिंह (अवकाश पर)
15. डॉ० मौ० दानिश खान
16. श्री कौशल प्रताप सिंह
17. डॉ० जितेन्द्र कुमार यादव

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. प्रो० वीरेन्द्र कुमार
2. प्रो० योगेश कुमार
3. डॉ० सुधीर मलिक

विज्ञान संकाय

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. प्रो० सुमन वर्मा
2. प्रो० आर० सी० आर्य
3. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
4. डॉ० हरजिन्दर सिंह
5. डॉ० नुपुर प्रसाद
6. डॉ० अनुराधा सिंह
7. श्री सन्दीप कुमार
8. डॉ० पंजाब सिंह मलिक
9. डॉ० सीमा रानी
10. डॉ० श्याम सिंह
11. डॉ० अमित तोमर
12. श्री पुष्पेंद्र
13. डॉ० हरवीर सिंह चीमा
14. सुश्री सरिता नायक

रसायन विज्ञान विभाग

1. प्रो० सुभाष चन्द्र
2. प्रो० रेनू सारस्वत
3. डॉ० बालेश्वर प्रसाद यादव
4. प्रो० नीलम कुमारी
5. डॉ० राजीव राठौर
6. डॉ० नेत्रपाल सिंह (अवकाश पर)
7. प्रो० सीमा
8. प्रो० नुपुर चटर्जी
9. डॉ० अर्चना
10. प्रो० आभा अवस्थी
11. डॉ० मीनाक्षी यादव
12. प्रो० गार्गी पचौरी
13. प्रो० संजय वत्स
14. डॉ० आनन्दवीर सिंह सिंधू
15. डॉ० इन्दू सिंह
16. प्रो० वीना चौधरी
17. डॉ० आशीष तोमर
18. डॉ० कल्पना मित्तल
19. श्री भोपाल सिंह
20. सुश्री स्वाति मिश्रा
21. श्री यूनिक अरोड़ा

गणित विभाग

1. प्रो० अशोक कुमार
2. प्रो० सीमा गोयल
3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह
4. प्रो० रचना कुमारी
5. डॉ० नरोत्तम कुमार
6. प्रो० ए० बी० चन्द्रमौलि
7. प्रो० बी० एस० कालरा
8. डॉ० दिग्विजय सिंह
9. सुश्री शैली चौधरी

भौतिक विज्ञान विभाग

1. प्रो० पी० एस० नेगी
2. प्रो० वीरेन्द्र सिंह
3. प्रो० प्रदीप कुमार यादव
4. प्रो० अजय चौहान
5. प्रो० राजबीर सिंह
6. प्रो० रूबी यादव
7. प्रो० ललित कुमार
8. प्रो० सतीश प्रकाश
9. प्रो० मनोज कुमार
10. प्रो० सचिन कुमार शर्मा
11. प्रो० पवन कुमार
12. श्री सचिन कुमार
13. डॉ० अतुल यादव
14. श्री गौरव बिष्ट
15. श्री विक्रांत कुमार

सांख्यिकी विभाग

1. डॉ० अलका चौधरी (अवकाश पर)
2. प्रो० एम० एम० गुप्ता
3. प्रो० विकास त्यागी
4. डॉ० अरुण कुमार भारती
5. सुश्री वैशाली पटेल

प्राणि विज्ञान विभाग

1. प्रो० नीरज कुमार
2. प्रो० सीमा शर्मा–I
3. प्रो० रश्मि मिश्रा
4. प्रो० कपिल कुमार
5. प्रो० प्रगति रस्तोगी
6. प्रो० निशा मनीष
7. डॉ० सीमा शर्मा–II
8. प्रो० विभा तोमर
9. प्रो० अंशु जैन
10. प्रो० दिव्या सिंह
11. प्रो० नीलम पँवार
12. प्रो० रेणु वर्मा
13. डॉ० श्वेता जैन
14. सुश्री निधि सिंह
15. श्री सरवर हुसैन

कोई भी स्वतंत्रता तब तक सच्ची नहीं होती, जब तक उसे विचार की स्वतंत्रता प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की तलाश में बाधा नहीं देनी चाहिए।

विभिन्न समितियाँ

छात्र कल्याण एवं प्रवेश समिति

1. प्रो० सीमा पँवार	अधिष्ठाता
2. प्रो० कपिल कुमार	उप-अधिष्ठाता
3. प्रो० सीमा (रसायन)	सहायक अधिष्ठाता
4. प्रो० शालिनी त्यागी	सहायक अधिष्ठाता
5. प्रो० संगीता उपाध्याय	सहायक अधिष्ठाता
6. डॉ० सुधीर मलिक	सहायक अधिष्ठाता
7. डॉ० कल्पना मित्तल	सहायक अधिष्ठाता
8. डॉ० अमित तोमर	सहायक अधिष्ठाता
9. श्री दिनेश कुमार	सहायक अधिष्ठाता
10. श्री राकेश त्यागी	सहायक अधिष्ठाता
11. सुश्री मोनिका शर्मा	सहायक अधिष्ठाता
12. श्री विनय आर्य	सहायक अधिष्ठाता

अनुशासन परिषद

1. प्रो० वीरेन्द्र कुमार	मुख्य नियन्ता
2. प्रो० नीलम पँवार	उप-मुख्य नियन्ता
3. प्रो० संजय कुमार त्यागी	नियन्ता
4. डॉ० अर्चना (रसायन)	नियन्ता
5. प्रो० आभा अवस्थी	नियन्ता
6. डॉ० अनुराधा सिंह	नियन्ता
7. प्रो० पवन कुमार	नियन्ता
8. प्रो० सचिन कुमार	नियन्ता
9. डॉ० सीमा रानी	नियन्ता
10. श्री कौशल प्रताप सिंह	नियन्ता
11. डॉ० मुकेश सेमवाल	नियन्ता
12. डॉ० आशीष तोमर	नियन्ता
13. डॉ० अनीता मोराल	नियन्ता
14. श्री दीपक वर्मा	नियन्ता
15. डॉ० अतुल यादव	नियन्ता
16. डॉ० दिग्विजय सिंह	नियन्ता
17. डॉ० कविता सिरोही	नियन्ता

ऐन्टी रैगिंग समिति

1. प्रो० वीरेन्द्र कुमार	संयोजक
2. प्रो० आभा अवस्थी	सदस्य
3. डॉ० अनुराधा सिंह	सदस्य
4. श्री कौशल प्रताप सिंह	सदस्य
5. छात्र प्रतिनिधि	सदस्य

विधि परामर्श समिति

1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	संयोजक
2. प्रो० कामेश्वर प्रसाद	सदस्य
3. प्रो० प्रवीण दुबलिश	सदस्य
4. प्रो० हरिशंकर राय	सदस्य

कॉलेज पत्रिका समिति

1. प्रो० रामयज्ञ मौर्य	मुख्य सम्पादक
2. प्रो० वाचस्पति मिश्र	सम्पादक
3. प्रो० पूनम सिंह	सम्पादक
4. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	सम्पादक
5. प्रो० मोनिका भटनागर	सम्पादक
6. प्रो० आभा अवस्थी	सम्पादक
7. सुश्री निधि सिंह	सम्पादक
8. डॉ० दिग्विजय सिंह	सम्पादक
9. सुश्री यशिका सागर	सम्पादक
10. डॉ० नैंसी शर्मा	सम्पादक

महिला प्रकोष्ठ

1. प्रो० अल्पना रस्तौगी	संयोजिका
2. प्रो० सरिता वर्मा	सदस्य
3. प्रो० ममता शर्मा	सदस्य
4. प्रो० निशा मनीष	सदस्य
5. डॉ० अनुराधा सिंह	सदस्य
6. डॉ० नविता एस० कुमार	सदस्य
7. सुश्री मेघा शर्मा	सदस्य
8. डॉ० रीना बंसल	सदस्य

नैक, आन्तरिक गुणवत्ता एवं दृढ़ता प्रकोष्ठ (IQAC)

1. प्रो० अर्चना सिंह (अर्थ०)	संयोजिका
2. प्रो० प्रगति रस्तौगी	सदस्य
3. प्रो० योगेश कुमार	सदस्य
4. डॉ० पंजाब सिंह मलिक	सदस्य
5. डॉ० अशोक कुमार शर्मा	सदस्य
6. सुश्री स्वाति मिश्रा	सदस्य
7. श्री विक्रान्त कुमार	सदस्य
8. श्री गौरव बिष्ट	सदस्य
9. श्री पंकज कुमार भारती	सदस्य
10. सुश्री हरगुन साहनी	सदस्य
11. श्री विनय कुमार (बरसर)	सदस्य

राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति (NCC)

1. कै० प्रो० परमजीत सिंह	2 UP Armd Sqn.
2. कै० प्रो० अवधेश कुमार	70 UP Bn.

चिकित्सा समिति

1. प्रो० दयानन्द द्विवेदी	संयोजक
2. प्रो० विभा तोमर	सदस्य
3. प्रो० मोहम्मद रिज़वान	सदस्य
4. प्रो० सतीश कुमार	सदस्य
5. डॉ० पल्लव अग्रवाल (चिकित्सक)	सदस्य

मुख्य प्रवेश समिति

1. प्रो० अनिता मलिक	संयोजिका
2. प्रो० रेनू सारस्वत	सदस्य
3. प्रो० सरिता वर्मा	सदस्य
4. प्रो० एस०के०एस० यादव	सदस्य
5. प्रो० रचना कुमारी	सदस्य
6. प्रो० द्वारिका प्रसाद	सदस्य
7. डॉ० श्वेता जैन	सदस्य

खेल समिति

1. प्रो० वीरेन्द्र कुमार	सचिव
2. प्रो० नीलम पँवार	सदस्य
3. प्रो० पवन कुमार	सदस्य
4. प्रो० योगेश कुमार	सदस्य
5. डॉ० सीमा रानी	सदस्य
6. डॉ० हितेश कुमार सिंह	सदस्य
7. डॉ० मौ० दानिश खान	सदस्य
8. डॉ० सुधीर मलिक	सदस्य
9. डॉ० मुकेश सेमवाल	सदस्य
10. श्री विनय कुमार (बरसर)	सदस्य
11. छात्र प्रतिनिधि	सदस्य

आंतरिक परिवाद समिति

1. प्रो० सीमा पँवार (डीन)	पीठासीन अधिकारी
2. प्रो० मंजू खोखर	सदस्य
3. प्रो० कविता त्यागी	सदस्य
4. प्रो० कामेश्वर प्रसाद	सदस्य
5. प्रो० हरिशंकर राय	सदस्य
6. प्रो० अमृत लाल	सदस्य
7. प्रो० संगीता उपाध्याय	सदस्य
8. डॉ० हिमानी अग्रवाल (गैरसरकारी संगठन)	सदस्य

पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति

1. श्री एन०पी० सिंह	संयोजक
2. डॉ० श्याम सिंह	सदस्य
3. डॉ० अनीता मोराल	सदस्य
4. श्री दीपक वर्मा	सदस्य
5. श्री यूनिक अरोरा	सदस्य
6. श्री पुष्पेन्द्र सिंह	सदस्य
7. श्री सरवर हुसैन	सदस्य

समय सारिणी समिति

1. प्रो० अशोक कुमार	संयोजक
2. प्रो० अनुराग सिंह	सदस्य
3. प्रो० राजीव कुमार	सदस्य
4. श्री दीपक वर्मा	सदस्य

इन्टरनेट समिति

1. श्री एन०पी० सिंह	संयोजक
2. डॉ० सुरभि सरोहा	सदस्य
3. श्री सरवर हुसैन	सदस्य
4. सुश्री यशिका सागर	सदस्य

वैबसाईट समिति

1. प्रो० प्रवीण दुबलिश	संयोजक
2. श्री जितेन्द्र कुमार	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) समिति

1. प्रो० सीमा गोयल	संयोजिका
2. प्रो० मोनिका भटनागर	सदस्य
3. डॉ० हरजिन्दर सिंह	सदस्य
4. प्रो० राजीव कुमार	सदस्य
5. सुश्री वैशाली पटेल	सदस्य
6. श्री विक्रान्त कुमार	सदस्य
7. डॉ० अरविन्द कुमार	सदस्य
8. सुश्री स्वाति पँवार	सदस्य

अनुरक्षण एवं लघु निर्माण समिति

1. श्री संदीप कुमार	संयोजक
2. प्रो० परमजीत सिंह	सदस्य
3. प्रो० अनुराग जायसवाल	सदस्य
4. प्रो० मनोज कुमार (भौतिकी)	सदस्य
5. डॉ० नूपुर प्रसाद	सदस्य

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) समिति

1. प्रो० संजय कुमार	संयोजक
2. प्रो० एम०पी० वर्मा	सदस्य
3. प्रो० दीनानाथ सिंह	सदस्य
4. प्रो० नीलम कुमारी (रसायन)	सदस्य
5. डॉ० सीमा शर्मा II	सदस्य
6. प्रो० संजय वत्स	सदस्य
7. सुश्री यशिका सागर	सदस्य

राष्ट्रीय सेवा योजना समिति (NSS)

1. प्रो० कविता त्यागी	संयोजिका
2. श्री संदीप कुमार	सदस्य
3. प्रो० योगेश कुमार	सदस्य

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद्

1. प्रो० अनिता मलिक	संयोजिका
2. प्रो० सांत्वना शर्मा	सदस्य
3. प्रो० रेखा राणा	सदस्य
4. प्रो० एस०के०एस० यादव	सदस्य
5. प्रो० मोनिका भटनागर	सदस्य
6. प्रो० अर्चना सिंह (इतिहास)	सदस्य
7. प्रो० निशा मनीष	सदस्य
8. प्रो० शालिनी त्यागी	सदस्य
9. प्रो० संगीता उपाध्याय	सदस्य

10. डॉ० अशोक कुमार शर्मा	सदस्य
11. सुश्री स्वाति पँवार	सदस्य
12. श्री अरविन्द कुमार (स्ववित्त पोषित)	सदस्य
13. डॉ० कविता सिरोही (स्ववित्त पोषित)	सदस्य

रोवर्स रेंजर्स समिति

1. प्रो० सुधीर कुमार पुण्डीर	सदस्य
2. प्रो० पूनम सिंह	सदस्य

बागवानी एवं पर्यावरण समिति

1. प्रो० रश्मि मिश्रा	संयोजिका
2. डॉ० अमित तोमर	सदस्य
3. श्री पुष्पेन्द्र	सदस्य

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय [IGNOU] अध्ययन केन्द्र

1. प्रो० चन्द्रशेखर भारद्वाज	संयोजक
2. प्रो० मीनाक्षी शर्मा	सदस्य
3. प्रो० दयानन्द द्विवेदी	सदस्य
4. डॉ० हरजिन्दर सिंह	सदस्य
5. प्रो० सीमा (रसायन शास्त्र)	सदस्य
6. प्रो० संजय कुमार (शिक्षा शास्त्र)	सदस्य

कैरियर परामर्श एवं प्लैसमैंट प्रकोष्ठ

1. प्रो० अजय चौहान	संयोजक
2. प्रो० अमरजीत सिंह मलिक	सदस्य
3. डॉ० अर्चना (रसायन)	सदस्य
4. सुश्री शैली चौधरी	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित विभिन्न प्रकोष्ठ

उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

1. डॉ० मनोज सिवाच (अर्थशास्त्र)
2. प्रो० सरिता वर्मा
3. प्रो० हेमंत कुमार पाण्डे
4. प्रो० नीरज तोमर
5. डॉ० पंजाब सिंह मलिक

ऑनलाईन शिक्षण एवं एल०एम०एस० प्रकोष्ठ

1. प्रो० भूपेन्द्र सिंह
2. प्रो० ललित कुमार
3. प्रो० सतीश कुमार
4. श्री भोपाल सिंह
5. डॉ० अनीता मोराल

शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

1. डॉ० ए०के० अग्रवाल
2. प्रो० रेखा राणा
3. प्रो० पूनम सिंह
4. प्रो० एम०पी० वर्मा
5. प्रो० प्रगति रस्तौगी
6. प्रो० विनीता सिंह
7. प्रो० एस०के० पुण्डीर

अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

1. प्रो० मृदुला शर्मा
2. प्रो० परमजीत सिंह
3. प्रो० अनुराग सिंह
4. प्रो० विकास त्यागी
5. डॉ० पंजाब सिंह मलिक
6. प्रो० वीना चौधरी
7. श्री हरवीर सिंह चीमा
8. डॉ० अरविन्द कुमार

संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ

1. प्रो० पी०एस० नेगी
2. प्रो० रचना कुमारी
3. प्रो० ममता शर्मा
4. प्रो० आभा अवस्थी
5. डॉ० सुधीर मलिक
6. श्री दीपक वर्मा
7. श्री विनय आर्य

एक्टिविटी क्लब

1. प्रो० अजीत सिंह तोमर
2. प्रो० रचना कुमारी
3. डॉ० नूपुर प्रसाद
4. डॉ० मीनाक्षी यादव
5. प्रो० गार्गी पचौरी
6. डॉ० हितेश कुमार सिंह
7. श्री रमेश यादव

भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

1. प्रो० रामयज्ञ मौर्य
2. प्रो० वाचस्पति मिश्रा
3. प्रो० विभा रानी
4. प्रो० अमृतलाल
5. प्रो० अर्चना सिंह (इतिहास)

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ

1. प्रो० नीरज कुमार
2. प्रो० रूबी यादव
3. प्रो० हरिशंकर राय
4. श्री दिनेश कुमार

दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजन प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ

1. प्रो० आर०सी० आर्य
2. प्रो० धर्मराज राम
3. प्रो० अमरजीत सिंह मलिक
4. डॉ० अनिल कुमार
5. डॉ० अनीता मोराल

मैन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

1. प्रो० पी०एस० उज्ज्वल
2. प्रो० लवलता सिद्धू
3. प्रो० मंजू खोखर
4. प्रो० भगत सिंह
5. सुश्री मेघा शर्मा

अन्य प्रभारी वर्ग

श्री विनय कुमार (बरसर/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)

श्री विरेन्द्र सिंह, संकाय प्रभारी **श्री रविन्द्र चौहान,** प्रभारी, भामाशाह पार्क (खेल मैदान)

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

मुख्य कार्यालय

श्री अजीत प्रताप सिंह
डॉ० देवेन्द्र कुमार
श्रीमती सुनीता
श्रीमती दुर्वाशा देवी
श्री आनन्द सिंह रावत
श्री पुनीत कुमार दीक्षित
श्री दिनेश सिंह शाह
श्री नन्द किशोर भट्ट
श्रीमती निधि गोयल
श्री प्रमोद कुमार
श्री दीपक शर्मा (कार्या० आशुलिपिक)
श्री संगीत मोहन कौशिक
डॉ० अतुल शर्मा
श्री जयवीर सिंह
श्री शुभम सिंह
श्री मौ० सलमान
कु० कृतिका पुण्डीर

पुस्तकालय विभाग

श्रीमती शहनाज़ ज़ेहरा ज़ैदी
श्री वरुण श्रीवास्तव
श्री नारायण हरि शर्मा
श्री मुकेश कुमार
श्री आनन्द स्वरूप
श्री अभिषेक बिश्नोई

लैब–सहायक

श्री चन्द्र प्रताप सिंह
श्री अन्जनेश कुमार
श्री रामानन्द सागर
श्री जितेन्द्र सिंह
श्री प्रवीन कुमार
श्री जितेन्द्र कुमार (प्राचार्य से सम्बद्ध)
श्री अवधेश पाल
श्री दीपक राज
श्री वीरेश सिंह तोमर
डॉ० पंकज स्वामी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

श्री महावीर प्रसाद
श्री राजबीर सिंह
श्री करण सिंह
श्री अनिल कुमार यादव
श्री लोकेश कुमार
श्री जितेन्द्र कुमार (राजू)
श्री संजय कुमार–I
श्री नन्द किशोर
श्री प्रेम बल्लभ तिवारी
श्री याद अली
श्री मदन गोपाल
श्री दिनेश कुमार
श्री हरिबाबू सिंह विजय
श्रीमती राखी पंत
श्री जनम सिंह
श्री श्रीचन्द राम
श्री संजय कुमार–II
श्री दीपक गिरि
श्री महेश चन्द
श्री शैलेन्द्र कुमार
श्री देवेन्द्र कुमार
श्री सुनील कुमार
श्री आशीष सैनी
श्री फईमुद्दीन
श्री राजेन्द्र शर्मा
श्रीमती सोमा देवी
श्री मुकेश यादव
श्रीमती उर्मिला (पुस्तकालय)
श्री सतीश कुमार
श्री मुन्नीलाल वर्मा

श्री जबर सिंह
श्री सहन्सर पाल
श्री राजकुमार गुप्ता
श्री महाराज अली
श्री कान्तिप्रसाद
श्री सुभाष–III
श्री ओमप्रकाश
श्री गुलरेज़ खान
श्री राकेश तोमर
श्री रोहित कुमार
श्री विरेन्द्र उपाध्याय
श्री राकेश सिरोही
श्री ऋषि पाल
श्री पुनीत मलिक
श्री अनिल कुमार (क्रीड़ा)
श्री महेश चन्द्र नागर
श्री सुधीर जोशिया
श्री पूर्णानन्द जोशी
श्री गुलाब सिंह
श्री राजीव कुमार–I
श्रीमती अंजू कन्नौजिया
श्री मुकेश तोमर
श्री सुदेश चन्द बीदू
श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी
श्री अमित कुमार
श्री विनय गुप्ता
श्री धर्मेन्द्र शर्मा
श्री दर्शन लाल
श्री गिरीश कुमार
श्री रमन सिंह

श्री अनूप सिंह सैनी
श्री राजकुमार
श्री राजपाल सिंह
श्री यतेन्द्र कुमार
श्री सुनील कुमार (छोटू)
श्रीमती लता
श्रीमती उर्मिला–I
श्री प्रभाकर
श्री प्रदीप भारती
श्री जय प्रकाश
श्री जय कुमार
श्री राकेश कुमार
श्री सुधीर कुमार
श्री धीरज कुमार
श्री ललित कुमार
श्री चन्द्र मोहन
श्रीमती पूनम सिंह
श्री दीपक सिंह
श्री सागर
श्री प्रेम पाल
श्री छोटे लाल
श्री सुभाष चन्द्र
श्री मदनलाल
श्रीमती संजू
श्री आनन्द
श्री सुदेश पाल
श्री धीर सिंह
श्री राहुल कुमार
श्री राहुल

मुख्य परिसर मानचित्र

LEGEND

- COLLEGE BOUNDARY
- ROAD
- COLLEGE BUILDING
- PARKING
- GATE
- TREE
- BRICKS ROAD
- PARK AND GROUND
- OPEN AREA

PREPARED BY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
30TH MATCH, 2012

FACULTY

- FACULTY OF ARTS
- FACULTY OF COMMERCE
- FACULTY OF SCIENCE
- FACULTY OF LAW
- FACULTY OF EDUCATION
- FACULTY OF MANAGEMENT

LOCATION BASED MAP

0 50 100

Meters

उपलब्ध पाठ्यक्रम

1. कला संकाय

कला संकाय के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं–

(अ) एम० ए० उपाधि के लिए

मुख्य पाठ्य-विषय— हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ललितकला, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, रक्षा अध्ययन, भूगोल, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास तथा गणित।

(ब) बी० ए० उपाधि के लिए

मुख्य पाठ्य-विषय— हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ललितकला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, रक्षा अध्ययन, भूगोल एवं शारीरिक शिक्षा।

2. विज्ञान संकाय

विज्ञान संकाय के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं–

(अ) एम० एस-सी० उपाधि के लिए

मुख्य पाठ्य-विषय— रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित तथा सांख्यिकी।

इन समस्त विषयों में प्रवेश उन्हीं को दिया जा सकेगा, जिन्होंने बी० एस-सी० स्तर पर उस विषय-विशेष का अध्ययन किया है। एम० एस-सी० रसायन विज्ञान विभाग तृतीय सेमेस्टर में कार्बनिक, अकार्बनिक व भौतिक रसायन में प्रवेश योग्यतानुसार 6:2:2 के अनुपात में क्रमशः किए जाएँगे। एम० एस-सी० भौतिक विज्ञान II तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में विशेष पाठ्यक्रम के रूप में तीन विषयों में क्रमशः न्यूक्लियर भौतिकी (Nuclear Physics), ठोसावस्था भौतिकी (Solid State Physics) तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) में प्रवेश योग्यता अनुसार समानुपात में अनुमन्य होंगे।

(ब) बी० एस-सी० उपाधि के लिए

मुख्य पाठ्य-विषय— भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं सांख्यिकी।

महाविद्यालय के पाँच विभागों (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी) की बी०एससी० प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट ऑफ़ बायोटेक्नोलोजी की स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत किया गया है। स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत छात्रों की प्रगति के आलोक में मेरठ कॉलेज को 'स्टार स्टेटस' प्रदान किया गया है।

3. वाणिज्य संकाय

(अ) एम० कॉम० उपाधि के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली में उल्लिखित सभी पाठ्यक्रम लागू होंगे।

(ब) बी० कॉम० उपाधि के लिए

मुख्य पाठ्य-विषय— समस्त मुख्य पाठ्य विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा कॉलेज में उपलब्ध है।

स्नातक स्तर पर निम्नलिखित सहगामी (co-curricular) पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे–

सेमेस्टर		सहगामी पाठ्यक्रम
प्रथम (I)	–	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
द्वितीय (II)	–	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
तृतीय (III)	–	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
चतुर्थ (IV)	–	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
पंचम (V)	–	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
षष्ठ (VI)	–	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

4. विधि संकाय

विधि संकाय में एलएल०एम० तथा एलएल०बी० कक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त पाठ्य-विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। एलएल०बी० में ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता को पूरी नहीं करते हों। विषय परिवर्तन की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी। यदि किसी प्रवेशार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त अन्य विश्वविद्यालय की एलएल०बी० (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रथम खण्ड/द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तब उसे एलएल०बी० द्वितीय/तृतीय खण्ड में प्रवेश दिया जा सकेगा (यदि पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति न हो रही हो)।

5. शिक्षा संकाय

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार एम०एड० कक्षा में 20 छात्र-छात्राओं के लिए तथा बी०एड० में 60 छात्र-छात्राओं के लिए अध्ययन की सुविधा कॉलेज में उपलब्ध है। बी०एड० एवं एम०एड० कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर दिये जायेंगे परन्तु कॉलेज-प्रवेश के अन्य सामान्य नियम इन कक्षाओं के लिए भी लागू होंगे। उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी।

(अ) एम०एड० उपाधि के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। शोध–प्रबन्ध लेखन हेतु निर्देशक का निर्धारण शिक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(ब) बी०एड० उपाधि के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।

नोट— महाविद्यालय के सभी विभागों में शोध हेतु पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं। अनेक छात्र-छात्राएँ निरन्तर इसका लाभ उठा रहे हैं।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ एवं सुविधाएँ

1. राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर की दो इकाइयाँ हैं जिनमें से किसी एक में ही प्रवेश लिया जा सकता है।

इकाई का नाम	उपलब्ध स्थान
(अ) 2 U.P. Armd sqdn. N.C.C.	100
(ब) 70 U.P. Bn N.C.C.	104

राष्ट्रीय कैडेट कोर में चयन कॉलेज में प्रवेश के उपरान्त कॉलेज के राष्ट्रीय कोर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इच्छुक छात्र/छात्राएँ ANO से सम्पर्क करें। राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य एवं केन्द्रीय सरकार ने विशेष सुविधा की घोषणा की है। इसके लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर से सम्बन्धित कार्यालयों में अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करें। B एवं C प्रमाण-पत्र धारकों को बी०एड०, एलएल०बी० तथा अन्य कक्षाओं में (जहाँ पंजीकरण होता है) प्रवेश में अधिभार मिलता है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय की यह योजना महाविद्यालय में सन् 1971 से चल रही है। इस योजना में केवल बी०ए०, बी०कॉम० तथा बी०एससी० के छात्र-छात्रायें ही प्रवेश पा सकते हैं। इस योजना में केवल 300 स्थान है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत छात्र/छात्राएँ मद्य निषेघ, अल्प-बचत, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का समाज के कोने-कोने में प्रचार-प्रसार करते हैं। इस योजना में विद्यार्थियों के विशेष शिविर ग्रामीण अचल में लगाये जाते हैं जहाँ विद्यार्थी निरन्तर 7/10 दिन परिश्रम करके सड़कों का निर्माण आदि करते हैं तथा अपने कॉलेज में स्वच्छता एवं अनुशासन बनाये रखने में सहयोग करते हैं। यह योजना कार्यक्रम अधिकारियों की देखरेख में चलती है।

विशेष शिविरों के प्रमाण-पत्र से बी०एड०, एलएल०बी० तथा अन्य कक्षाओं में जहाँ पंजीकरण होता है, प्रवेश में अधिभार मिलता है।

प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ही राष्ट्रीय सेवा योजना में अपना पंजीकृत कराना होता है। इसके लिए प्रवेशार्थी कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करें।

3. खेल-कूद (Sports)

कॉलेज के पास विशाल क्रीडा-क्षेत्र है जहाँ लगभग सभी खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कॉलेज में 1 हॉकी मैदान, तरण ताल, फुटबॉल मैदान, मण्डप (पैवेलियन) सहित दो क्रिकेट स्टेडियम (पिच) हैं। इनके अतिरिक्त स्थायी पूर्णाकार क्रीड़ा पथ (फुल साईज़ स्पोर्टस

ट्रैक), चार वॉलीबॉल मैदान, दो बास्केटबॉल मैदान, तीन इन्डोर बैडमिंटन कोर्ट, टेबिल टेनिस के लिए एक बड़ा कक्ष तथा शारीरिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। छात्रावासों में खेलों की पृथक सुविधायें हैं।

4. अनुशासन परिषद् (Proctorial Board)

छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्त्व होता है। इसके बिना कोई भी छात्र सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों में आत्म संयम, शिष्टाचार व अनुशासन की भावना का विकास कर एक अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए महाविद्यालय में अनुशासन परिषद् का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जो कुछ शिक्षकों के संरक्षण में संचालित होता है। इसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हर संकाय से अनुशासन वॉलेंटियर्स चुने जाते हैं। अनुशासन अधिकारी के द्वारा महाविद्यालय में परिचय-पत्र किसी भी समय देखा जा सकता है जिसको प्रतिदिन महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा लाना अनिवार्य होता है। महाविद्यालय में व्यवहार व वेशभूषा में शालीनता व आत्म अनुशासन के लिए परिषद् छात्रों को प्रेरित व प्रशिक्षित करती है।

5. छात्र कल्याण परिषद्

यह परिषद् छात्रों के लिए कल्याण तथा निर्देशन सेवाओं का संचालन करती है। इसके अन्तर्गत छात्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है-

(i) **शुल्क मुक्ति :** इसका आधार शैक्षिक योग्यता एवं संरक्षक की आय है। शुल्क मुक्ति आवेदन-पत्र कॉलेज कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। इन आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय में जमा करना होता है।

(ii) **रेल किराये में छूट :** यह सुविधा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार दी जाती है।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/विकलांग/दुर्बल आय के सामान्य जाति व अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश के समय छात्रवृत्ति का आवेदन-पत्र भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने हस्ताक्षर छात्र कल्याण परिषद् के अधिकारी से प्रमाणित कराकर बैंक में अपना खाता खोलना होता है।

(iv) अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के सभी छात्रों को अपने मूल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय से अपने प्रवेश फार्म को अग्रेसित कराना अनिवार्य है।

6. रोवर्स रेंजर्स (Rovers Rangers)

मेरठ कॉलेज, मेरठ द्वारा रोवर क्रयू तथा रेंजर क्रयू टीम का सफल संचालन किया जा रहा है जो कि भारत स्काउट एण्ड गाइड संस्था के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, भारत स्काउट एण्ड गाइड, लखनऊ प्रादेशिक संस्था द्वारा पंजीकृत एवं नवीनीकृत है। इसके अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत् सीमित छात्र/छात्राओं को ही अनुशासन, सामाजिक सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर चयनित कर प्रवेश, निपुण, राज्य-पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त रोवर्स-रेंजर्स विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग करके समाज-सेवा में योगदान देते हैं तथा आपदा के समय भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त रोवर्स-रेंजर्स स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

7. पुस्तकालय (Library)

पुस्तकालय किसी भी शिक्षा संस्था का प्राण और उसकी महत्ता का द्योतक होता है। इस दृष्टि से मेरठ कॉलेज का पुस्तकालय उत्तर भारत के प्राचीन, सम्पन्न और वृहद पुस्तकालयों में से एक है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की लगभग दो लाख पुस्तकें एवं दुर्लभ ग्रन्थ तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में एक विशाल अध्ययन कक्ष एवं वाचनालय है। संस्थागत विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधि, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ललित कला, रक्षा अध्ययन आदि विभागों में विभागीय पुस्तकालय उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

(1) पुस्तकालय में प्रवेश के समय छात्रों को पुस्तकालय-कार्ड व परिचय-पत्र साथ लाना होगा क्योंकि कॉलेज के विद्यार्थी ही पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं।

(2) छात्र/छात्राओं द्वारा पुस्तकें न लौटाने पर प्रतिदिन (पुस्तक लौटाने के दिन से) 15 दिन तक प्रतिदिन 1 रुपया प्रति पुस्तक, तत्पश्चात् प्रतिदिन 5 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा। परीक्षा तक पुस्तकालय की पुस्तकें न लौटाने की दशा में छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

पुस्तकालय में वर्तमान सत्र में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए फोटो कॉपी की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए प्रति पेज (A-4 size) 1 रुपये शुल्क देय होगा व 1 दिन में अधिकतम 30 पेज की फोटो कॉपी की जा सकेगी। संदर्भ ग्रंथों की छायाप्रति संभव नहीं है।

पुस्तकालय में स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं व शोधार्थियों के लिए INFLIBNET की भी सुविधा है।

(3) पुस्तकें लेने के लिए पुस्तकालय-कार्ड बनवाना अनिवार्य है। प्रवेश के बाद पुस्तकालय के बुक-बैंक सैक्शन में कार्ड बनाये जाते हैं जिसके लिए प्रवेश की रसीद, एक फोटो एवं परिचय-पत्र लाना आवश्यक है। पुस्तकालय-कार्ड खोने पर दोबारा नहीं बनाया जायेगा। कार्ड की पूरी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। यह कार्ड अहस्तांतरणीय होता है, अतः किसी अन्य विद्यार्थी को नहीं देना चाहिये।

(4) विद्यार्थियों को पुस्तकें विषय व दिन के अनुसार दी एवं ली जाती है अन्यथा उन्हें अर्थदंड देना पड़ता है। फटी पुस्तकें वापस नहीं ली जाती है।

(5) पुस्तकालय तथा वाचनालय में बात करना वर्जित है। यहाँ पर मौन रहकर वाचन करना होता है।

(6) पुस्तकालय में धूम्रपान करना, सोना, खाद्य पदार्थ लाना व खाना तथा मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

8. छात्रावास (Hostel)

महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नियम

1. बी०एड० दो वर्षीय व एम०एड० का पाठ्यक्रम एक वर्षीय, एम०ए०, एम०एससी, एम०कॉम०, एलएल०एम० का दो वर्षीय तथा शेष पाठ्यक्रम तीनवर्षीय होगा।
2. जब तक कोई विद्यार्थी प्रथम खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह द्वितीय खण्ड में प्रवेश नहीं पा सकेगा और इसी प्रकार जब तक कोई विद्यार्थी द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह तृतीय खण्ड में प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार विद्यार्थी को तीनवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तृतीय खण्ड की परीक्षा पृथक रूप से उत्तीर्ण करनी होगी।
3. कोई भी विद्यार्थी तब तक उपाधि प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा जब तक वह उपाधि के लिए नीचे दिये गये क्रमांक 5 के अनुसार निर्धारित सभी विषयों एवं पाठ्यक्रमों की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।
4. उपाधि के लिए सभी विषयों की परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणियाँ निम्न प्रकार दी जायेंगी-

   टिप्पणी : बी०एड० में सिद्धान्त पक्ष (थ्योरी) एवं क्रियात्मक पक्ष (प्रेक्टिकल) में श्रेणी अलग-अलग दी जायेगी।

उपाधि का नाम	प्रतिशत		
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम	60	48	36
बी०एड०, एम०एड०, एलएल०बी०	60	48	–
एलएल०एम०	60	50	–

5. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड की परीक्षाओं में किसी को तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा जब तक वह अंकों का निम्नानुसार प्रतिशत प्राप्त न कर ले।
   (अ) बी०ए०, बी०एससी० तथा बी०कॉम० : NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित क्रेडिट प्रणाली के आधार पर।
   (आ) एलएल०बी० : प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 36 प्रतिशत किन्तु सभी पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों का योग 48 प्रतिशत।
   (इ) एलएल०एम० : प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत परन्तु सभी पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों का योग 50 प्रतिशत।
   (ई) जिन विषयों में प्रयोगात्मक (प्रेक्टिकल) परीक्षा भी होती है, उनमें विद्यार्थी को लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   (उ) सामान्य विषयों तथा अर्हकारी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए 50 में से 17 अंक पाना अनिवार्य होगा।
6. यदि परीक्षार्थी विषयों के सभी खण्डों को उत्तीर्ण कर लेता है और वह एक प्रतिशत अथवा उससे कम अंकों की कमी के कारण प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे पूर्व छात्र के रूप में अगली परीक्षा में किसी भी एक पाठ्यक्रम की परीक्षा में केवल एक बार बैठने की अनुमति दी जायेगी। ऐसा करने से यदि उसकी श्रेणी में सुधार होता है तो सुधरी हुई श्रेणी उसे मिल जायेगी, अन्यथा उसे पहली वाली श्रेणी में उत्तीर्ण माना जायेगा। जिस वर्ष में परीक्षार्थी द्वारा श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा दी जायेगी, उसी वर्ष उसे दूसरी समकक्ष परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट–स्नातक में प्रवेशित विद्यार्थियों के परीक्षा प्रणाली/उपाधि संबंधित नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार लागू होंगे। **(देखें पृष्ठ सं० 27 से पृष्ठ सं० 29 तक)**

सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नियम

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। इसके संदर्भ में सभी नियम पृष्ठ संख्या 27 से पृष्ठ संख्या 29 तक पढ़ें।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है, जिसमें निम्न आधार पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा–

1. परीक्षार्थी को 50 (20+20+10) अंकों की आंतरिक एवं 50 अंकों की बाह्य परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. आन्तरिक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी बाह्य परीक्षा देने के लिए अर्ह होगा।
3. परीक्षार्थी को आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

उपस्थिति

(अ) कोई भी विद्यार्थी उस समय तक किसी भी विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा जब तक कि उस विषय की सैद्धान्तिक (Theory) तथा प्रयोगात्मक (Practical) कक्षाओं में उसकी अलग-अलग उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत नहीं होती।

(ब) उपस्थिति में 5 प्रतिशत तक की छूट संस्था के प्राचार्य महोदय तथा विशेष परिस्थिति में 10 प्रतिशत की छूट कुलपति महोदय दे सकते हैं।

(स) उपस्थिति की गणना कॉलेज में शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से होगी चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया गया हो।

(द) विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति अपने प्राध्यापक से प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विषय में उसकी उपस्थिति कम तो नहीं है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह जाती है और परीक्षा में कम उपस्थिति के कारण बैठने की स्वीकृति नहीं मिलती तो वह विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

प्रवेश के नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच-पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई०डब्ल्यू०एस० के लिए लागू होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ) **(i)** प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है। इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में माँगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सबमिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं० पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/ संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपन्नों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ङ) विषय संयोजन आबंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आबंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की

अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट–यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो।) यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2021-22 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्था में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०पी०टी०, डिप्लोमा इन आर०डी०आई०टी०, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी०पी०टी० व बी०आर०डी०आई०टी० में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे–सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे–सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ०प्र० बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम०ए० की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम०ए० में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम०ए० प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम०ए० करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोट–मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन०आई०ओ०एस० व ए०आई०यू० पर उपलब्ध)/(यू०जी०सी० व ए०आई०यू० की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है. इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

3. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएँगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870/सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।''

5. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को बी०ए० में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी०ए० की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note–In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi, the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आँकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों को अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का ''C'' या ''G-II'' सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/ डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा–

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात जी०ओ० न० एफ०.14–3/85 (सी०पी०), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। 4 प्रतिशत अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट–(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)।

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल०बी० के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 11 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

11. एम०एससी०, एम०ए० भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे–

(i) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम०एससी० और एम०ए० में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी०एससी०/बी०ए० में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस०सी०/एस०टी० के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम०ए० के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं है एवं एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iv) एम०एससी० और एम०ए० (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम०एससी० सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना

अनिवार्य है, परन्तु एम०ए० प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम०एससी० बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटरसाइंस/गणित/सांख्यिकी/माइक्रोबाइलोजी/बी०एम०एल०टी०/बी०एससी० (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु बी०सी०ए०, बी०टैक० (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी०एससी० (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम०ए० के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम०ए० (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/बी०सी०ए०/बी०ए० (गणित)/बी०एससी० (गणित)/बी०कॉम० अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी०ए० (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम०ए० गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

12. (i) एलएल०बी० प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एलएल०बी० (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक/ परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर, जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात् स्नातक से की जायेगी, तथापि भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, दिनांक 07.08.2014 के अनुसार एलएल0बी0 (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा स्नातक अथवा उच्चतर कक्षा (स्नातकोत्तर) में 45 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करे हों, तो वह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय से एलएल०बी० उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (सामान्य वर्ग हेतु) तथा 48 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु) से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एलएल०एम०) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एलएल०बी० का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जोकि इस विश्वविद्यालय में मान्य है, उत्तीर्ण किया है, एलएल०बी० के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

(iv) कोई भी महाविद्यालय/संस्थान एलएल०बी० प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा।

13. (i) बी०कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी०कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्ताकों को आधार माना जाएगा।

(ii) बी०ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०कॉम०, बी०ए० अथवा बी०एससी० में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो-तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक-तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

14. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों

के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी०एड०, बी०पी०एड०, एम०एड०, एम०पी०एड०, एलएल०एम० व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

15. (i) बी०एड०/बी०पी०एड० और एम०एड०/एम०पी०एड० की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी०एड०, एम०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०ए० (गृह विज्ञान)/बी०एससी० (गृह विज्ञान) तथा बी०एससी० (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(iii) केवल ऐसे अभ्यर्थी एम०एससी० (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी०एससी० (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम०एससी० (कृषि) में प्रवेश योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

18. (i) एम०कॉम० के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०कॉम० परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी०कॉम० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(ii) बी०सी०ए०/बी०टैक० (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बी०एससी० (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम०एससी० (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी०एससी० (गणित) को दी जायेगी।

(iii) बी०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी०एससी० (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(iv) एम०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगा।

(v) एलएल०बी० (3 वर्षीय) एवं एलएल०बी० (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी०सी०आई०) द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

(vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

19. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

20. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

21. (i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी०ए० प्रथम/एम०ए० प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी०एड०/बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

22. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

25. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

26. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निधारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

27. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

28. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

29. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

30. बी०एससी० (फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

31. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी०लिब० आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

32. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

33. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एकसाथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

34. BJMC, BBA, BFA, B.El.Ed. में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस०सी०/एस०टी० अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।

35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

40. M.Sc. (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. (Home Science) 50 प्रतिशत अंकों के साथ रहेगी। Foods & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

42. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. **छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।**

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू०जी०सी०/आई०जी०एन०ओ०यू० तथा एन०आई०ओ०एस० की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में दिशा-निर्देश

National Education Policy 2020: Guidelines

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये गए थे। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(क) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणीः

1. यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०कॉम० पर सत्र 2021-22 से लागू है। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर लागू होगी।

(ख) प्रवेश की व्यवस्थाः

1. विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आबंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
2. पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है,* जिसका आबंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।

   (**नोट**–मेरठ कॉलिज में उपलब्ध संसाधनों के आलोक में वर्तमान सत्र में विद्यार्थी को तीनों मुख्य विषयों का चुनाव अपने ही संकाय से करना होगा सिवाय गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल के।)*
3. विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।★
4. छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।★

   *(★ **नोट**–मेरठ कॉलिज में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में नियम संख्या 3 एवं 4 वर्तमान सत्र में लागू नहीं होंगे।)*
5. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय* से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलेक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।

   (**नोट**–विद्यार्थी को गौण चयनित (माइनर इलैक्टिव) पेपर का चुनाव महाविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूची में से ही करना होगा।)*
6. बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
7. तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।✣

   *(✣ **नोट**–जिन विद्यार्थियों ने NCC कोर्स का चयन किया है, उन्हें कोई अन्य माइनर इलैक्टिव पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है।)*

8. कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
9. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
10. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा। (3 × 4 = 12 क्रेडिट के कुल चार विभिन्न पाठ्यक्रम)✪

   *(✪**नोट**–विद्यार्थी को रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम का चुनाव महाविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूची में से ही करना होगा।)*
11. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा। सहगामी पाठ्यक्रमों का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा–
    - **प्रथम–** खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता
    - **द्वितीय–** प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
    - **तृतीय–** मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
    - **चतुर्थ–** शारीरिक शिक्षा एवं योग
    - **पंचम–** विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
    - **षष्ठ–** संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास
12. इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० (C.G.P.A.) की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

(ग) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

1. विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
2. विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
3. विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निधारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

(घ) क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

1. सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
2. प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
3. विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सटिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।
4. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएँगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
5. यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएँगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7. तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

8. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएँगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

9. यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

(ङ) उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारणः

1. क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

2. परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

3. छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) परीक्षा व्यवस्थाः

1. सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

2. सभी विषयों (रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम को छोड़कर) की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।

3. 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

4. असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।

5. सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

(छ) उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित हैः

1. स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।

2. द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

3. तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

4. प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।

5. स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जाएँगे।

Revised Eligibility Criteria

M.A. Programme: Bachelor's Degree (with the concerned subject as one of the main subjects for Home Science, Geography, Music and Drawing & Painting) 45% marks in the aggregate and 50% marks in the Subject at Graduation are mandatory. For SC/ST Candidates, relaxation up to 33% marks in aggregate and in the concerned subject.

(a) For admission to M.A. (Economics), candidates having B.A./B.Sc. Degree with mathematics as one of the main subjects or at 10+2 level or those with B.B.A./B.Com./B.C.A. Degree are also eligible.

(b) Political Science, History, Defence Studies, Philosophy, Sociology & Education candidates with B.A. in other subjects or from other 3 year bachelor's degree can also apply with 5% deduction in marks.

(c) For admission to M.A. in Psychology of campus (CBCS) or colleges, candidates from all steams can apply with 45% marks in aggregate. However preference will be given to B.A. (Psychology) or Psychology with Honors (2% weightage). Remaining candidates will be considered with 5% deduction in marks.

प्रवेश– योग्यता के आधार

क्रमांक	कक्षा	प्रवेश-योग्यता के आधार
1.	(क) बी०एससी० (प्रथम वर्ष) बी०ए० (प्रथम वर्ष) बी०कॉम० (प्रथम वर्ष)	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(ख) एम०एससी० (प्रथम वर्ष)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(ग) एम०कॉम० (प्रथम वर्ष)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(घ) एम०ए० (प्रथम वर्ष, सभी विषय)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
2.	सभी कक्षाएँ (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	2. मेरठ कॉलेज, मेरठ से प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले समस्त प्रवेशार्थी निर्धारित तिथियों मे प्रवेश पा सकेंगे।
3.	एलएल०बी० (प्रथम वर्ष)	3. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
4.	एलएल०एम० (प्रथम वर्ष)	4. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
5.	बी०एड०	5. शासन द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर
6.	एम०एड०	6. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर

विशेष : 1. प्रवेश के लिए पंजीकृत प्रवेशार्थी को अपने पास पंजीकृत-प्रपत्र की पावती (रसीद) रखना आवश्यक है।

2. निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न रहने पर प्रवेशार्थी अपना प्रवेश का अधिकार खो देगा तथा उसके स्थान पर योग्य प्रवेशार्थी का प्रवेश कर दिया जायेगा।

3. प्रवेश केवल स्थान रहने तक ही दिये जायेंगे। प्रवेश के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश करने के लिए कॉलेज बाध्य नहीं होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रवेश के लिए इच्छुक सभी प्रवेशार्थी मेरठ कॉलिज की वैबसाइट www.meerutcollege.edu.in पर जाकर online admission पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। उसकी समस्त प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें।
2. आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरकर अपना फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र upload करें।
3. ये सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण होने के बाद प्रवेश शुल्क जमा करने का विकल्प खुल जाएगा। अपने द्वारा चुने गए कोर्स के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान करें। संबंधित बैंक में भुगतान प्राप्ति के पश्चात् आपको एक ई-रसीद प्राप्त होगी।
4. अब आपको अपने आवेदन पत्र, upload किए गए प्रमाण-पत्रों एवं ई-रसीद के प्रिंट निकालकर उन्हें मेरठ कॉलिज में संबंधित प्रवेश समिति के पास जमा कराने होंगे।

   महत्त्वपूर्ण–
   - प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों को यह सभी पत्रजात् विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधित वरीयता सूची के प्रवेशों की अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित समय तक जमा कराने हैं।
   - अन्य वर्षों के प्रवेशार्थियों को यह सभी पत्रजात् महाविद्यालय द्वारा नियत प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित समय तक जमा कराने हैं।

   इन पत्रजातों को निर्धारित समय तक जमा न कराने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
5. आवेदन पत्र की प्रति के साथ प्रवेशार्थियों को upload किए गए अपने सभी प्रमाण-पत्रों को संबंधित प्रवेशाधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कराने होंगे। सत्यापन के उपरांत ही प्रवेशार्थी का प्रवेश निश्चित होगा।
6. प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत उसकी सूचना प्रवेशार्थी को ई-मेल/एस०एम०एस० के द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। सूचना में उक्त प्रवेशार्थी को आवंटित उसकी विशिष्ट कॉलिज आई०डी० भी होगी।
7. कॉलिज आई०डी० प्राप्त करने के दस दिनों के उपरांत विद्यार्थी जमा किए गए शुल्क की ई-रसीद दिखाकर अपना परिचय-पत्र एवं विवरणिका की मुद्रित कॉपी प्रॉक्टर कार्यालय से प्राप्त करें। आपका परिचय-पत्र कॉलेज के विद्यार्थी होने का प्रमाण है। इसे सदैव अपने साथ रखें।
8. प्रवेश के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी०सी०) तथा पूर्व संस्था का आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। इसके न होने पर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अंक-पत्र की मूल प्रति भी प्रवेशाधिकारी को दिखानी अति आवश्यक है।
9. यदि प्रवेशार्थी द्वारा लगाए गए प्रमाणपत्र व फोटो जाली साबित होते हैं तो न केवल उस विद्यार्थी का प्रवेश बिना किसी कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा वरन् उसके विरुद्ध धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) भी दर्ज करा दी जाएगी।
10. सभी प्रवेश अस्थाई हैं। प्राचार्य का यह अधिकार सर्वदा सुरक्षित है कि कभी भी किसी का भी प्रवेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं।

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2017 एवं आदेश दिनांक 11.02.2009 के आलोक में शासनादेश संख्या—746/70–1–2009 लखनऊ दिनांक 26.03.2009 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा एवं उसके अभिभावकों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि यदि छात्र/छात्रा संस्था के परिसर में या बाहर रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
2. किसी भी छात्र/छात्रा को रैगिंग से संबंधित कोई शिकायत/सुझाव हो तो वह चीफ प्रॉक्टर कार्यालय एवं छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय पर रखी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत बिना किसी पहचान के लिखित रूप में डाल दें जिसकी जाँच कर उसका निराकरण किया जाएगा।
3. महाविद्यालय में किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान आदि) के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई छात्र/छात्रा धूम्रपान या मद्यपान आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा परिसर के अंदर लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।
5. रैगिंग की घटनाओं में लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्राओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही गुण/दोष के आधार पर की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निष्कासन, महाविद्यालय से निलंबन, जी०डी० मार्क में कटौती, मैस से निलंबन तथा छात्रवृत्ति बंद किए जाने आदि की कार्यवाही भी सम्मिलित होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र/छात्रा का ही होगा।

सामान्य सूचनाएँ

1. प्रवेशार्थियों को मेरठ कॉलेज की वैबसाइट www.meerutcollege.edu.in पर दिए गए online admission पर क्लिक कर आवेदन पत्र भरना होगा, साथ ही प्रवेश शुल्क का भुगतान कर ई-रसीद प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात् इन सबके प्रिंट लेकर प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा।
2. प्रवेश समिति के मुख्य संयोजक अपने कक्ष में मिलेंगे। प्रवेश सम्बन्धी पूछताछ के लिए प्रवेश समिति तथा सम्बन्धित संयोजक से उनके निर्धारित कक्ष में मिलें।
3. प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी को स्वयं अपने प्राप्तांकों एवं प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिलिपियाँ सत्यापन के लिए दिखानी होंगी तथा स्वयं उपस्थित होकर उन सभी प्रतिलिपियों पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।
4. यदि आप कॉलेज से अपना कोई फॉर्म अग्रसारित कराना चाहते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी/सहायक को अपना परिचय-पत्र पिछले प्राप्तांक, डिग्री आदि की मूल प्रतियाँ अवश्य दिखायें। ऐसा न करने पर आपका फॉर्म अग्रसारित नहीं किया जायेगा। चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भी ऐसा ही करें।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी प्रवेश फार्म अधिष्ठाता, छात्र कल्याण परिषद् के माध्यम से अग्रसरित होने चाहियें।
6. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रवेश-पत्र के साथ ही अपने वाहन (साईकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि) का पंजीकरण कराना तथा वाहन को कॉलेज के वाहन-स्थल पर रखना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज प्रांगण में किसी भी प्रकार का वाहन चलाना एवं उसको खड़ा करना तथा **कॉलेज परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है।**
7. कॉलेज में जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश स्वीकृत होगा उन्हें प्रवेशाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित परिचय-पत्र चीफ़ प्रॉक्टर कार्यालय से प्राप्त करना होगा। प्रवेश सुनिश्चित होने के दस दिनों के उपरांत परिचय-पत्र निर्गत किए जाएँगे। इनको प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको दण्डित किया जा सकता है। **विद्यार्थी को परिचय-पत्र सदैव अपने साथ लाना अनिवार्य होगा और माँगे जाने पर दिखाना होगा।**

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करें-

1. संकाय कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु० 3/- मात्र देकर फार्म प्राप्त करें।
2. लेखा विभाग, पुस्तकालय और सम्बन्धित प्रयोगशाला से अदेय प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षरित करायें।
3. उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित फार्म के साथ गत परीक्षा की अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
4. संकाय कार्यालय में अपना परिचय-पत्र दिखाकर संबंधित संकाय लिपिक के पास निर्धारित फार्म जमा करें।

चरित्र प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करें।

1. संकाय कार्यालय से रु० 3/- मात्र जमा कर फार्म प्राप्त करें।
2. निर्धारित फार्म को अपनी अंकतालिका के साथ संकाय कार्यालय में जमा करें।

शुल्क तालिका 2023-24

Class ↓ / Year →	New Students (NEP-2020)		Old Students (NEP-2020)		Old Students	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
	I	I	II	II	III	III
B.Com./B.A. (Without Pract.)	₹ 1,638	₹ 1,506	₹ 1,513	₹ 1,381	₹ 1,013	₹ 881
B.A. (One Pract.)	₹ 1,908	₹ 1,776	₹ 1,753	₹ 1,621	₹ 1,253	₹ 1,121
B.A. (Two Pract.)	₹ 2,148	₹ 2,006	₹ 1,993	₹ 1,861	₹ 1,493	₹ 1,361
B.Sc. (Maths)	₹ 2,148	₹ 2,016	₹ 1,993	₹ 1,861	₹ 1,493	₹ 1,361
B.Sc. (Bio.)	₹ 2,388	₹ 2,256	₹ 2,233	₹ 2,101	₹ 1,733	₹ 1,601
B.Ed. (I & II) (Yearly)	₹ 1,098	₹ 882	₹ 1,073	₹ 857	-	-
	I & II Sem.	I & II Sem.	III & IV Sem.	III & IV Sem.	V & VI Sem.	V & VI Sem.
M.A./M.Com. & M.Sc. (Maths)	₹ 1,197	₹ 1,017	₹ 1,072	₹ 892	-	-
M.Sc./M.A. (Draw./Geog./Psy.)	₹ 1,487	₹ 1,307	₹ 1,312	₹ 1,132	-	-
LL.B.	₹ 1,097	₹ 917	₹ 2,972	₹ 2,792	₹ 2,972	₹ 2,792
LL.M.	₹ 1,133	₹ 917	₹ 1,008	₹ 792	-	-
M.Ed. (I & II)	₹ 1,133	₹ 917	₹ 1,108	₹ 892	-	-

नोटः

1. उक्त समस्त कक्षाओं के वार्षिक शुल्क रुपयों में अंकित हैं।
2. प्रतिभूति राशि कॉलेज छोड़ने के उपरान्त एक वर्ष तक माँगने पर देय है। तत्पश्चात देय नहीं है।
3. विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए क्रीड़ा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क देय नहीं है।
4. शासन व विश्वविद्यालय से आगामी सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तावित नयी दर से शुल्क देय होगा।
5. उक्त शुल्क में विश्व-विद्यालय शुल्क सम्मिलित नहीं है।
6. विद्यार्थी की प्रवेश-प्रक्रिया के संपूर्ण होने के पश्चात शुल्क वापसी नहीं होगी।

शुल्क विवरण 2023-24

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं शासन के आदेशानुसार निम्नलिखित शुल्क देय होगा।

(क) शासन द्वारा विनिहित शुल्क

शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों के लिए)

(i) स्नातक	132.00	रु० प्रतिवर्ष
(ii) स्नातकोत्तर	180.00	रु० प्रतिवर्ष
(iii) विधि : स्नातक	180.00	रु० प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर	216.00	रु० प्रतिवर्ष
(iv) शिक्षा शास्त्र	216.00	रु० प्रतिवर्ष
महंगाई शुल्क	42.00	रु० प्रतिवर्ष
प्रवेश शुल्क	3.00	रु० प्रतिवर्ष
पंजीकरण शुल्क : स्नातक	5.00	रु० प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर	10.00	रु० प्रतिवर्ष
विकास शुल्क	36.00	रु० प्रतिवर्ष

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विनिहित शुल्क

क्रीड़ा शुल्क	100.00	रु० प्रतिवर्ष
प्रयोगशाला शुल्क (बीएस०सी०) विषयवार	240.00	रु० प्रतिवर्ष
प्रयोगशाला शुल्क (स्नातकोत्तर-विज्ञान) विषयवार	240.00	रु० प्रतिवर्ष
प्रयोगशाला शुल्क (कला) विषयवार	240.00	रु० प्रतिवर्ष
ग्रीष्म एवं शीत ऋतु शुल्क	200.00	रु० प्रतिवर्ष
पंजीकरण शुल्क : स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष)	100.00	रु० प्रतिवर्ष
परिचय-पत्र शुल्क	3.00	रु० प्रतिवर्ष
सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा शुल्क (50.00 रु० प्रति सेमेस्टर)	100.00	रु० प्रतिवर्ष
वोकेशनल कोर्स शुल्क (250.00 रु० प्रति सेमेस्टर)	500.00	रु० प्रतिवर्ष
चरित्र प्रमाण-पत्र शुल्क	3.00	रु० प्रतिवर्ष
स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क	3.00	रु० प्रतिवर्ष
पुस्तकालय शुल्क	36.00	रु० प्रतिवर्ष
वाचनालय शुल्क : स्नातक	12.00	रु० प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर	18.00	रु० प्रतिवर्ष
चिकित्सा शुल्क	24.00	रु० प्रतिवर्ष
निर्धन छात्र सहायता कोष	5.00	रु० प्रतिवर्ष
छात्र कल्याण शुल्क	5.00	रु० प्रतिवर्ष
कॉलेज पत्रिका शुल्क	50.00	रु० प्रतिवर्ष
साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	15.00	रु० प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर आन्तरिक परीक्षा शुल्क	100.00	रु० प्रतिवर्ष
अंक तालिका शुल्क (35.00 रु० प्रति सेमेस्टर)	70.00	रु० प्रतिवर्ष
प्रवेश पत्र वितरण शुल्क	25.00	रु० प्रतिवर्ष
विवरणिका शुल्क	100.00	रु० प्रतिवर्ष
प्राभूति शुल्क (सिक्योरिटी)	25.00	रु० प्रतिवर्ष
प्राभूति शुल्क लैब	50.00	रु० प्रतिवर्ष
एलएल०बी० प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क (द्वितीय व तृतीय वर्ष)	2000.00	रु० प्रतिवर्ष
क्रीड़ा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क (स्नातक)	60.00	रु० प्रतिवर्ष

विकलांग के लिए क्रीड़ा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

(ग) शोध शुल्क

शोधार्थी (शिक्षा/कला/वाणिज्य एवं विधि)	2400.00	रु० प्रतिवर्ष
शोधार्थी (विज्ञान)	3600.00	रु० प्रतिवर्ष

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय [IGNOU] अध्ययन केन्द्र मेरठ कॉलेज, मेरठ [केन्द्र संख्या 2728]

कॉलेज के विशाल भवन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इग्नू का अध्ययन केन्द्र स्थित है। यह अध्ययन केन्द्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। उक्त केन्द्र में प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा तथा उपाधि स्तर पर अध्ययन सेवाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ अंग्रेजी तथा हिन्दी में सृजनात्मक लेखन, पर्यावरण, पर्यटन, खाद्य एवं पोषण में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा स्तर पर प्रमाण-पत्र, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं पोषण, प्रारम्भिक शिशु स्वास्थ्य, मानव संसाधन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन (सामान्य), उपाधि स्तर पर पर्यटन, कला, वाणिज्य व पूर्व स्नातक, तथा परास्नातक (पी०जी०) स्तर पर बी०बी०ए०, एम०बी०ए०, (बैंकिग व फ़ाईनैन्स तथा मास्टर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेन्ट के अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एम०एड०, बी०एड०, बी० लिब० व कम्प्यूटर से सम्बन्धित सर्टिफिकेट, डिग्री व पी०जी० उपाधि के अध्ययन के लिए भी सुविधा उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी के लिए इग्नू कार्यालय में प्रत्येक बुधवार व शनिवार (5 बजे से 7 बजे तक) तथा रविवार (प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक) समन्वयक, डॉ० चंद्रशेखर भारद्वाज, इग्नू अध्ययन केन्द्र, मेरठ कॉलेज से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं० 0121-2667744 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम विभाग
(Department Of Professional Courses)

UG COURSES		PG COURSES	
B.Sc. Computer Science (3 sections)	3 yrs	M.Sc. Computer Science (2 sections)	2 yrs
B.Sc. Home Science (1 section) (Clinical Nutrition & Dietetics)	3 yrs	M.Sc. Home Science (1 section) (Foods & Nutrition)	2 yrs
B.Sc. Biotechnology (1 section)	3 yrs	B.Com. LL.B. (2 sections)	5 yrs

(All courses are affiliated to CCS University, Meerut)

For Admission Enquiry/Registration Contact:

Coordinator, Department of Professional Courses

Mob.: 9012999928 (Tel. off.) 0121-4058626, 4056173, 4058149

प्रवेश के लिए आवश्यक प्रपत्र

1. महाविद्यालय वैब साईट से डाउनलोड किया गया पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र तथा शुल्क की ई-रसीद।
2. विश्वविद्यालय वैब साईट से डाउनलोड किया गया पंजीकरण फार्म व अन्य आवश्यक प्रपत्र।
3. विश्वविद्यालय वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन कराते समय अधिभार प्राप्त करने हेतु दी गयी सूचना के प्रमाण-पत्र।
4. पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक की मूल प्रति तथा प्रमाणित छायाप्रति।
5. पूर्व संस्था के चरित्र प्रमाण-पत्र (C.C.) की मूल प्रति।
6. पूर्व संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) की मूल प्रति।
7. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ी जाति से सम्बद्ध है अथवा दिव्यांग है तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा प्रमाणित छायाप्रति।
8. प्रवेशार्थी का नाम उसकी अंक-तालिका, आवेदन-पत्र, आधार कार्ड तथा जाति प्रमाण-पत्र पर एक समान अंकित होना चाहिए। ऐसा न होने की दशा में आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं दिया जायेगा।

विशेष सूचना

1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किसी प्रवेशार्थी का नाम यदि योग्यता/वरीयता/प्रतीक्षा सूची में आ जाता है और वह निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसे महाविद्यालय स्तर पर किसी भी दशा में पुनः प्रवेश का अवसर नहीं दिया जायेगा व इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।
2. मैरिट लिस्ट तथा प्रतीक्षा सूची में रखे गये विद्यार्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर नियत स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनका प्रवेश अधिकार समाप्त समझा जायेगा।
3. जाँच होने तक सभी प्रवेश अस्थाई होते हैं। प्राचार्य कोई कारण दिये बिना किसी के भी प्रवेश को किसी भी समय निरस्त कर सकते हैं।
4. सभी प्रवेशार्थियों को चाहिए कि प्रवेश स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निधार्रित शुल्क की ई-रसीद दिखाकर अपना परिचय-पत्र चीफ प्रॉक्टर कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. प्रवेश लेते समय पाठ्य-विषयों का चयन भली-भाँति सोच-विचार कर करें। विषय, सेक्शन तथा संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण भी अनुमन्य नहीं है।
6. प्रवेश लेने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज छोड़ता है तो कॉलेज कार्यालय को इसकी लिखित सूचना तुरन्त देना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय-पत्र चीफ-प्रॉक्टर को लौटाना भी अनिवार्य है।
7. किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षाओं में नियमानुसार कम से कम 75% उपस्थिति अर्जित करना अनिवार्य होगा।

WWW.meerutcollege.org
Email : principal_mcm1892@ymail.com
Contact : 0121-2664303 Fax : 0121-4009149

₹ 100.00

Design by: Mohit Jain # 9897890738